न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2020

अपीलांट

सोनाराम पुत्र पैलाद, जाति विश्नोई, उम्र 65 वर्ष, निवासी चितलवाना, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. कोजाराम पुत्र पैलाद जाति विश्नोई, निवासी चितलवाना, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री शंभूदान आशिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 20-07-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 बअनवान कोजाराम बनाम सोनाराम को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2801 रकबा 4.19 मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2801 रकबा 4.19 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.90 हैक्टेर, खसरा नंबर 2869 रकबा 0.90 हैक्टेर, खसरा नंबर 2870 रकबा 0.98 हैक्टेर, खसरा नंबर 2871 रकबा 0.04 हैक्टेर, खसरा नंबर 2872 रकबा 0.09 हैक्टेर, खसरा नंबर 2880 रकबा 0.07 हैक्टेर, खसरा नंबर 2881 रकबा 0.52 हैक्टेर, खसरा नंबर 3050 रकबा 0.89 हैक्टेर, खसरा नंबर 3052 रकबा 1.63 हैक्टेर, कुल रकबा 10.21 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में स्वयं का 1/2 हिस्सा बताते हुए बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर

अपीलांट को नोटिस भेजे गये, जिस पर अपीलांट के पुत्र द्वारा तामिल होना बताया गया है, किन्तु तामिल कुनिन्दा द्वारा यह नहीं बताया गया कि उसका पुत्र पिता के साथ रहता है अथवा नही, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का नोटिस तामिल मानकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। खसरा नंबर 2871 में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है। उक्त ढाणी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 2870 से रास्ता है एवं खसरा नंबर 2870 में से रोड निकली हुई है। बंटवाडा प्रस्ताव में खसरा नंबर 2870 की समस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दे दी गई, जबकि मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया है। खसरा नंबर 2870 की समस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिये जाने से अपीलांट को घर से बाहर जाने के लिये रास्ता भी मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री के पश्चात अपीलांट का रास्ता रोका गया, जिसे खुलवाने हेतु अपीलांट द्वारा तहसीलदार चितलवाना के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात पटवारी एवं अन्य कर्मचारी मौके पर आकर दिनांक 10.07.2017 को मौका फर्द बनाई गई, उक्त मौका फर्द के अन्तर्गत खसरा नंबर 2870 अपीलांट के कब्जे में दर्शाया गया है। उक्त खसरा नंबर में पशु बाडा है, सीमेंट की ओरडी बनी हुई है तथा अंदर हनुमानजी की चौकी बनी हुई है जो मौका फर्द में स्थान दर्शाया है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त खसरे पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार चितलवाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलांट को इस बारे में कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार चितलवाना द्वारा बिना पक्षकारान को सूचना दिये, पक्षकारान की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जाकर अपीलांट की कब्जा काश्त वाली आराजी का हक हिस्सा कायम किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2801 रकबा 4.19 मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2801 रकबा 4.19 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.90 हैक्टेर, खसरा नंबर 2869 रकबा 0.90 हैक्टेर, खसरा नंबर 2870 रकबा 0.98 हैक्टेर, खसरा नंबर 2871 रकबा 0.04 हैक्टेर, खसरा नंबर 2872 रकबा 0.09 हैक्टेर, खसरा नंबर 2880 रकबा 0.07 हैक्टेर, खसरा नंबर 2881 रकबा 0.52 हैक्टेर,

खसरा नंबर 3050 रकबा 0.89 हैक्टेर, खसरा नंबर 3052 रकबा 1.63 हैक्टेर, कुल रकबा 10.21 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में स्वयं का 1/2 हिस्सा बताते हुए बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2801 रकबा 4.19 मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2801 रकबा 4.19 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.90 हैक्टेर, खसरा नंबर 2869 रकबा 0.90 हैक्टेर, खसरा नंबर 2870 रकबा 0.98 हैक्टेर, खसरा नंबर 2871 रकबा 0.04 हैक्टेर,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खसरा नंबर 2872 रकबा 0.09 हैक्टेर, खसरा नंबर 2880 रकबा 0.07 हैक्टेर, खसरा नंबर 2881 रकबा 0.52 हैक्टेर, खसरा नंबर 3050 रकबा 0.89 हैक्टेर, खसरा नंबर 3052 रकबा 1.63 हैक्टेर, कुल रकबा 10.21 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में स्वयं का 1/2 हिस्सा बताते हुए बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। साथ ही निवेदन किया कि पूर्व में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 मे स्पष्ट निर्देश दिये गये कि अपीलांट दोनो निर्णयों की अलग–अलग अपीले प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। जिसकी जानकारी अपीलांट एवं रेस्पो0 वकील दोनो को थी, अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि खसरा संख्या 2870 पर हमारी रहवासी ढाणी बनी हुई है एवं मौके पर पशु बाड़ा एवं हनुमानजी की चौकी बनी हुई है। तथा अपीलांट का कब्जा काश्त 2870 पर चला आ रहा है। जिस कारण अदालत हाजा की राय में खसरा सख्या 2870 में कोजा राम के खाते की आराजी में से 0.20 हैक्टर अपीलांट सोनाराम को एवं खसरा संख्या 2879 में सोनाराम के खाते की आराजी मे से 0.20 हैक्टर कोजाराम को दिया जाना विधि सम्मत है। जिन खातादारों की निवास एवं ढाणिया है तथा जिनका हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार पृथक–पृथक रुप से रहवास के लिए उन्हें दिया जाता है। किसी भी पक्ष को उजर या आपत्ति नहीं होनी चाहिए रहवास एवं प्राकृतिक सुख सुविधा है। जो कि ढाणिया पुरानी बनी होने के कारण बगैर प्रभावित किये खातेदार को दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के अनुसार न्यायोचित है। क्योकि ढाणिया दोनो काश्तकार सोनाराम व कोजाराम द्वारा अपने हक एवं हिस्से में स्वयं के द्वारा बनायी गयी है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अनुचित है। अतः बिना प्रभावित किये उनके हक हिस्से एवं काब्जे अनुसार उन्हें दिया जाना उनकी प्राकतिक सुख सुविधा को सुरक्षित रखा जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सरहद मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 2870 में से 0.20 हैक्टर अपीलाट सोंनाराम को कब्जा काश्त अनुसार एवं खसरा संख्या 2869 में से 0.20 हैक्टर रेस्पोडेन्ट कोजाराम को विधिक हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। एवं खसरा संख्या 2869, 2870 में दिया गया रास्ता अपास्त किया जाता है। तथा शेष आराजी यथावत रखी जाती है।तहसीलदार चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की पालना कर राजस्व रेकर्ड मे नाम अमल दरामद करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20-7-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली